

राजस्थान-सरकार
कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,
 पंजीयन भवन लोहागल-जनाना अस्पताल रोड(सीकर रोड़), अजमेर

क्रमांक: एफ-7(652)रिवीजन/विविध/18/ 3340

दिनांक: 14-8-18

आदेश


विधि विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर एवं जयपुर बैंच में विभाग की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त उप राजकीय अभिभाषकों को वृत्तवार पैरवी कार्य आवंटन के संबंध में निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते हैं-

क्र. सं.	उप राजकीय अभिभाषक का नाम व पता	कार्यक्षेत्र	लिंक उप राजकीय अभिभाषक जिनके द्वारा पैरवी की जावेगी
1.	श्री जमील जई, बी-196, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर। मो.नं. 9785410654	कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर व उदयपुर क्षेत्र से संबंधित प्रकरण एवं कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर सतर्कता एवं कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर, बाइमेर के क्षेत्राधिकार से संबंधित कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ में सूचीबद्ध प्रकरण	श्री अनिल पोकरणा
2.	श्री अनिल पोकरणा, 13/321, नया बाजार, अजमेर। मो.नं. 9414254756	कलक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ़ व बीकानेर के क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर, अलवर प्रथम व द्वितीय के क्षेत्राधिकार से संबंधित कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ अजमेर में सूचीबद्ध प्रकरण	श्री राम किशोर
3.	श्री रामकिशोर, मकान नं. 625/26, कैलाशपुरी, कृष्णगंज, अजमेर मो.नं. 9413223276	कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर, कोटा व बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण	श्री डी.पी.ओझा
4.	श्री डी.पी.ओझा, 551/09, राजेन्द्रपुरा, हाथी भाटा, अजमेर 94143796263	कलक्टर (मुद्रांक), भीलवाड़ा, पाली, सीकर, भरतपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण	श्री जमील जई
5.	श्री शीतांशु शर्मा, सी 148, 149, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर	SR I, II, III, V, IX, X राजस्व जिला जयपुर एवं राजस्व जिला दौसा (जयपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय के अधिकारिक क्षेत्र को छोड़कर) अलवर व भरतपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त प्रकरणों जो कर बोर्ड की जयपुर बैंच में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होंगे।	श्री एन.के वेद
6.	श्री एन.के वेद, रंका चैम्बर, सी-12ए, सूर्यपथ न्यू कॉलोनी 5 बत्ती के पास, एम.आई. रोड़, जयपुर। मो.नं. 9829436162	SR IV, VI, VII, VIII SR आमेर, राजस्व तहसील बस्सी, चौमूं, एवं इनकी उप तहसील से सम्बंधित क्षेत्र इसके अतिरिक्त जयपुर बैंच में अन्य क्षेत्रों के विचाराधीन प्रकरण	श्री शीतांशु शर्मा,

किसी भी उप राजकीय अभिभाषक की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके समक्ष अंकित लिंक उप राजकीय अभिभाषक द्वारा पैरवी की जावेगी।

उपर्युक्त आदेश के होते हुवे भी किसी विशेष प्रकृति एवं महत्वपूर्ण प्रकरण को मुख्यालय द्वारा किसी भी उप राजकीय अभिभाषक को आवंटित किया जा सकेगा जो उस प्रकरण में पैरवी करेंगे।

यह आदेश 1 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।


महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(652)रिविजन/विविध/18/ 33 40-3370 दिनांक: 14-8-18


प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
2. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
4. उप निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, रिविजन शाखा मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की मुख्य पीठ एवं जयपुर बेंच में लगने वाले प्रकरणों से संबंधित पत्रावली/रिकॉर्ड संबंधित उप राजकीय अभिभाषक को नियत सुनवाई तिथि से 3 दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

6. समस्त उप राजकीय अभिभाषक, श्री प.पी. मोहन, श्री शीतांशु शर्मा (प.प.र.), श्री राजकिशोर

प.पी. मोहन, श्री शीतांशु शर्मा (प.प.र.), श्री A. N. K. वर्मा (प.प.र.)

7. संबंधित कर्मचारी, रिविजन शाखा, मुख्यालय, अजमेर।


संयुक्त विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर